न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर 275

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 244–दो/07 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–11–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 397/अ–6/03–04.

1– बृजकिशोर यादव
2– प्रमोद कुमार यादव
3– भरत कुमार यादव
पुत्रगण स्व. श्री भुमानीदीन यादव
4– मुसम्मत भुमानीबाई वेवा स्व. भुमानीदीन यादव
समस्त निवासीगण ग्राम. राजनगर
तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरुद्ध

1– कन्छेदी पुत्र गटियां यादव (मृत) वारिसान –
(अ) श्रीमती यशोदा यादव पत्नी स्व. कन्छेदी
(ब) नंद किशोर यादव पुत्र स्व. कन्छेदी यादव
निवासीगण चौबे कॉलोनी, छतरपुर जिला छतरपुर
2– मंगलदीन पुत्र गटियां यादव
निवासी राजनगर छतरपुर म0प्र0
3– म0प्र0 शासन ---- अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव ।

.....

आदेश

(आज दिनांक 23-9-2016 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक निगरानी 397/अ–6/03–04 में पारित आदेश दिनांक 9–11–2006 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2. संक्षेप में आवेदक का प्रकरण इस प्रकार है कि नामांतरण पंजी कमांक 68 वर्ष 1985 में दिनांक 13–3–85 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदकगण के पिता/पति भवानीदीन यादव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी , राजनगर जिला छतरपुर के समक्ष अपील कमांक 4/अपील/99–2000 मय म्याद अधिनियम की धारा 5 सहित प्रस्तुत की गई । उक्त अपील को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–1–2000 को आपसी बंटवारा को स्वीकार कर लिखित निवेदन करने पर निरस्त किया गया, जिसे किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया गया । बाद में स्व. गटिया अहीर के हिस्से की भूमियों का वारिसाना नामांतरण पंजी कमांक 20 वर्ष 1993–94 में दिनांक 20–1–1994 को समस्त वारिसानों के मध्य हुआ जिसे भुवानीदीन की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई जो प्रकरण कमांक 129/अपील/2002–03 के रूप में दर्ज हुई उक्त अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी पेश किया गया जिसमें जानकारी का दिनांक लेख ही नहीं किया गया जबकि अपील कमांक 4 /अपील/99–2000 का वर्णन किया गया । नामांतरण पंजी कमांक 20 में पारित आदेश दिनांक 21–1–1994 की जानकारी कब हुई जिस पर अपील दिनांक 30–6–2002 को पेश की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन जिसमें म्याद की गणना हेतु जानकारी दिनांक ही लेख नहीं था, स्वीकार किया गया । इस आदेश से दुखित होकर अनावेदकगण कन्छेदीलाल बगैरह द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष पेश की गई जो कमांक 194/निग0 2002–03 के रूप में दर्ज की जाकर दिनांक 6–4–2004 को स्वीकार की गई । तत्पश्चात अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्र0क0 397/अ–6/93–94 के रूप में दर्ज हुई और आदेश दिनांक 2–11–06 को निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से निगरानी मेमो में दिए गए आधारों को दोहराते हुए कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय एवं अपर कलेक्टर ने द्वारा प्रकरण में मौजूद महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है । अनावेदकों ने पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार पिता गटिया के जीवनकाल में ही अपना हिस्सा प्राप्त

कर लिया था । स्व. गटिया की संपत्ति में उनका कोई हिस्सा नहीं रहा था । स्व0 गटिया आवेदकगण के पिता/पति स्व. भुवानीदीन के साथ रहते थे । स्व. गटिया की मृत्यु के उपरांत अनावेदकों ने आवेदकों के पिता की बगैर जानकारी के नामांतरण पंजी पर हक न होते हुए नामांतरण दिनांक 21–1–94 को करा लिया जिसकी जानकारी सर्वप्रथम आवेदकों को 16–6–2003 को हुई । जानकारी प्राप्त होते ही उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जिसमें अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की थी ।

यह तर्क दिया गया कि उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अपर कलेक्टर ने स्वीकार करने में तथा अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने अवधि विधान की धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन कर आदेश पारित किये गये हैं ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि नामांतरण पंजी कमांक 68 वर्ष 1985 में पारित आदेश के विरूद्ध आवेदकों के पूर्वाधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कं. 4/अपील/99–2000 पेश की थी जो उभयपक्षों की सहमति के आधार पर निराकृत हुई । इससे स्पष्ट है कि नामांतरण की जानकारी आवेदकों को पूर्व से हो गई थी । इस आदेश को कोई चुनोती आवेदकों के पिता/पति भुवानीदीन ने अपने जीवनकाल में नहीं दी । इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो चुका था । अतः पुनः उसी भूमि से संबंधित नामांतरण प्रकरण को व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 11 की वर्जना के कारण पुनः नहीं खोला जा सकता है । यह भी कहा गया कि आवेदकों ने झूंठा एवं मिथ्या शपथपत्र दिनांक 30–6–2002 प्रस्तुत किया जिसमें वर्णित तथ्य समाधार कारक नहीं होते हुए भी अनुविभागीय अधिकारी ने विधि की मंशा के विपरीत मनमाना आदेश पारित किया जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है और ना ही कोई अवैधानिकता अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करने में की गई है ।

5/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण कमांक 68 वर्ष 1985 तथा नामांतरण पंजी कमांक 20 वर्ष 1993–94 में समान भूमियों का वर्णन है तथा पंजी कमांक 68 पर आवेदकगण के पिता भवानीदीन की सहमति के हस्ताक्षर है । इस आदेश के विरूद्ध भवानीदीन द्वारा चौदह वर्ष उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 4/अपील/99–2000 पेश की गई जो सहमति के आधार पर दिनांक 22–10–99 को निरस्त की गई । इस आदेश को कोई चुनौती भवानीदीन द्वारा अपने जीवनकाल में नहीं दी गई है । इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो चुका है ।

7/ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि स्व. गटिया का जो हिस्सा बचा था उस पर स्व. गटिया की मृत्यु उपरांत पुनः उसके विधिक उत्तराधिकारियों का नामांतरण पंजी कमांक 20 वर्ष 1993–94 में पारित आदेश दिनांक 21–1–1994 के द्वारा नामांतरण किया गया है । इस आदेश को भी कोई चुनौती आवेदकों के पिता/पति भवानीदीन द्वारा अपने जीवनकाल में नहीं दी गई है । भवानीदीन की मृत्यु उपरांत आवेदकों ने उक्त आदेश की जानकारी 16–6–2003 को होना लेख किया गया है, प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके द्वारा जानकारी का जो दिनांक बताया गया है तथा विलंब का जो कारण बताया गया है वह विश्वसनीय नहीं है क्योंकि नामांतरण पंजी कमांक 68 वर्ष 1985 में पारित आदेश के विरूद्ध आवेदकों के पिता/पति भवानीदीन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कमांक 4/अपील/99–2000 पेश की गई थी जो उभयपक्षों की आपसी सहमति के आधार पर आदेश दिनांक 3–1–2000 द्वारा समाप्त की गई । ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आवेदकों को नामांतरण पंजी कमांक 20 वर्ष 1994 में पारित आदेश दिनांक 21–1–1994 की जानकारी नहीं हो । चूंकि अपील कमांक 4/अपील/99–2000 में सहमति के आधार पर पारित आदेश को कोई चुनौती दी जाना अभिलेख से नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अंतिम हो चुका है और व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 11 के प्रावधानों के तहत पुनः उसी भूमि से संबंधित नामांतरण प्रकरण को नए सिरे से पुनः सुनवाई में लेकर नहीं खोला जा सकता है । सहमति के आदेश के विरूद्ध अपील वर्जित है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि

अनुविभागीय अधिकारी ने विधि की मंशा के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है, जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है । इस प्रकरण में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के जो आदेश हैं उचित, न्यायिक और विधिसम्मत हैं और उनमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण उक्त आदेशों में हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–2006 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर